

राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, चम्बा, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश के छात्र कल्याण
निधि का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

अवधि 1-4-2008 से 31-3-2013 तक

भाग — एक

1. गत अंकेक्षण प्रतिवेदन :-

गत अंकेक्षण के लम्बित पैरों के निपटारे हेतु की गई कार्यवाही के सत्यपनोपरान्त
अंकित पैरों की नवीनतम स्थिति निम्न वर्णित है।

2. (क) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2001 से 3/2006 तक:-

पैरा 9

अनिर्णीत

(ख) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/200 से 3/2008 तक:-

पैरा- 5

निर्णीत पैरा में वर्णित बिल/ वाउचर आकक्षण एवं वितरण
अधिकारी द्वारा पारीत कर दिए गये थे अतः पुष्टि के
उपरान्त पैरे का निपटारा कर दिया।

पैरा -6 अनिर्णीत

पैरा -7 निर्णीत

भाग-2

2 वर्तमान अंकेक्षण:-

राजकिय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान चम्बा, जिला हि0 प्र0 के छात्र कल्याण निधियों के
लेखों अवधि 4/2008 से 03/2013 तक का अंकेक्षण , जिसके परिणाम अनुवर्ती अनुच्छेदों में
दिए गये है, श्री संदीप कमल , अकभाग अधिकारी द्वारा दिनांक 10.06.2013 से 22.06.2013
तक के दौरान संस्थान के परिसर में किया गया। आय व व्यय की विस्तृत जाँच हेतु माह का
चयन इस प्रकार किया गया।

वित्तीय वर्ष	2008-09	2009-10	2010.11	2011.12	2012.13
आय	7.2008	8.2009	7.2010	7.2011	7.2012
व्यय	5.2006	10.2009	6.2010	4.2011	8.2012

अंकेक्षण प्रतिवेदन संस्थान के प्राधानाचार्य द्वारा उपलब्ध । प्रस्तुत करवाई गई
सूचनाओं के आधार पर तैयार किया गया है। स्थानीय लेखा विभाग किसी प्रकार की गलत
सूचना अथवा सूचना जो उपलब्ध नहीं करवाई गई है, के लिए जिम्मेवार नहीं है। स्थानीय लेखा
विभाग की जिम्मेवारी केवल विस्तृत जाँच हेतु चयनित मासों तक सीमित है।

वर्तमान अंकेक्षण के दौरान निम्नलिखित प्रधानाचार्य ने आकरण व वितरण अधिकारियों के रूप में कार्य किया।

क्र० सं०	प्रधानाचार्य का नाम	कार्य की अवधि
1	श्री एस. के. गुप्ता	1.4.08 से 17.6.2008
2	श्री सी. एल. सूरज	12.8.08 से 12.8.2008
3	श्री संजीव सल्लहौत्रा	13.8.08 से 17.11.2008
4	श्री चुनी लाल सूरज	18.11.08 से 7.3.2009
5	श्री संजीव सल्लहौत्रा	8.3.09 से 23.4.2009
6	श्री चूनी लाल सूरज	24.4.09 से 31.1.2010
7	श्री विनोद शर्मा	1.2.10 से 4.10.2012
8	श्री जमना दास शर्मा	5.10.12 से 31.3.2013

3. अंकेक्षण शुल्क:-

संस्थान के छात्र कल्याण निधियों का अंकेक्षण शुल्क रु 6,600 आंका गया अंकेक्षण अधियाचना संख्या 84 दिनांक 21.6.2013 द्वारा उक्त राशि का भुगतान निदेशक, स्थानिय लेखा विभाग हि० प्र० शिमला-9 को बैंक ड्राफ्ट द्वारा करने हेतु अनुरोध प्रधानाचार्य से किया गया जिसकी अनुपानलना करते हुए प्रधानाचार्य द्वारा अंकेक्षण शुल्क की राशि 6600/- बैंक ड्राफ्ट संख्या 877326 दिनांक 22.6.13 शाखा प्रेषित कर दिया गया।

4. वित्तीय स्थिति :-

अंकेक्षण अवधि 4/2008 से 3/2013 तक वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार से है एवं संस्थान के छात्र कल्याण निधियों के अन्तःशेष परिशिष्ट "क" में दिया गया है:-

वित्तीय वर्ष	आ० शेष	आय	ब्याज	योग	व्यय	अन्तःशेष
2008.09	2971367	1379027	91661	4442055	1288457	3153598
2009.10	3153598	1233875	110372	4497845	1233320	3264525
2010.11	3264525	1492699	93975	4851199	1361780	3489419
2011.12	3489419	1459007	99379	5047805	1754358	3293447
2012.13	3293447	1231893	655170	5180510	1256032	3924478

अन्तः शेष का विवरण:-

- हि० प्र० स्टेट को० बैंक में बचत खाता संख्या 17910101431 में जमा राशि :-रु 1380492 -00
- सावधि जमा में निवेश:- रु 25,43,986-00
कुल राशि:- 39,24,478-00

निवेश:-

क्र० स०	निवेश तिथी	की एफ०डी०आर० संख्या	निवेशित राशि	परिपक्वता राशि	परिवक्ता राशि	नोट
1	1.2.07	2050	570000	1.2.12	570000	Interest credit in saving a/c in every half year
2	7.9.10	868939	800638	7.9.12	925277	—
3	7.9.10	868940	1173348	7.9.12	1356006	—

कुल निवेश 25,43,986

(i) सावधि जमा का नवीनीकरण न करने बारे:-

अंकेक्षण के दौरान पाया कि उपरोक्त सावधि जमा क्रमशः 01.02.12 एवं 07.09.12 को परिपक्व हो चुकी थी लेकिन इनका समय पर नवीनीकरण नहीं करवाया गया। समय पर नवीनीकरण राशि पुनः निवेश न करने वारे स्थिति स्पष्ट की जाए ब्याज के रूप में हुई हानि वारे आवश्यकता जिम्मेवारी नियमानुसार निर्धारित की जाए। भविष्य में समय पर नवीनीकरण करना सुनिश्चित करे।

(ii) निवेश रजिस्टर तैयार न करने बारे:-

जाँच में पाया कि संस्था में निवेश रजिस्टर तैयार नहीं किया गया था जबकि संस्थान द्वारा विभिन्न निधियों की राशि सावधि जमा के रूप में निवेश की गई। अतः प्रत्येक वित्तीय वर्ष में कुल निवेश का व्यौरा रजिस्टर में दर्ज करके नियन्त्रण अधिकारी से सत्यापित करना सुनिश्चित करें।

आय:-

5. निधि नियन्त्रण रजिस्टर तैयार न करने बारे:-

अंकेक्षण के दौरान पाया कि औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में निधि नियन्त्रण रजिस्टर तैयार नहीं किया गया था एवं निधि से प्राप्त राशि शकी प्रविष्टियां रोकड वही में ही की जाती थी जो कि नियमानुसार उचित नहीं था। अतः निधि नियन्त्रण रजिस्टर नियमानुसार तैयार न करने का औचित्य स्पष्ट करे एवं तत्काल प्रभाव से इसें तैयार करके छात्र कल्याण निधि से प्राप्त राशि की प्रविष्टियां निधि नियन्त्रण रजिस्टर में करना सुनिश्चित करे।

6. रसीदों को भण्डार रजिस्टर में दर्ज न करने बारे:-

जॉच में पाया गया कि अंकेक्षण अवधि में प्रयोग में लाई गई रसीदें भण्डार रजिस्टर में दर्ज नहीं की गई थी और न की निर्गमित की गई थी जिसके अभाव में रसीदों की सत्यता एवं यह पता चलना मुश्किल था अंकेक्षण अवधि में प्रयोग की गई रसीदें भण्डार रजिस्टर से कब निर्गमित की गई। उचित प्रकार से अभिलेख तैयार न करने के कारण किसी भी प्रकार के दुर्घटन की सम्भावना से अधिकार नहीं किया जा सकता पाई गई गम्भीर त्रुटि वारे स्थिति स्पष्ट की जाए। भविष्य में प्रत्येक रसीद बुक की प्रविष्टि क्रम संख्या सहित भण्डार रजिस्टर में क्रम एवं निर्गमन के समय स्वतः स्पष्ट रूप में सुनिश्चित करे।

7. भुगतान की वास्तविक रसीद प्राप्त न करने बारे:-

चयनित माह 05/2008 के वाउचर संख्या 1 की जॉच करने पर पाया गया कि निम्न भुगतानों के विरुद्ध वास्तविक रसीद प्राप्त नहीं की गई थी जिससे इन भुगतानों की पुष्टि नहीं हो सकी। अतः अब आपेक्षित वास्तविक रसीद प्राप्त करके आगामि अंकेक्षण पर प्रत्यापनार्थ प्रस्तुत करे।

क्र० सं०	वाउचर संख्या	भुगतान का व्योरा	प्रतियोगिता	राशि
1	Vr.no.1 Dated 14-5-08	Subscription रु2000 entry रु1250	जिला स्तरीय खेल-कूद प्रतियोगिता 21.4.08 से 24.4.08 तक, चम्बा	3,250
2	Vr.no.1 Dated:14-5-08	Subscription रु5.000999 Token रु1,250	Subscription रु5.000 Token 1,250	6,250

8. रु 122/- का अधिक भुगतान :-

चयनित माह 05/2008 के खर्चों की जॉच करने पर पाया कि मै0 गोईल ब्रदरज चम्बा से रु 4877/- की विभिन्न सामग्री बिल संख्या 3178 दिनांक 19.4.08 द्वारा क्रम की गई थी जबकि भुगतान 4999/- रूपये का किया गया अर्थात रु 122/- का अधिक भुगतान किया गया। अतः अधिक भुगतान बारे स्थिति स्पष्ट की जाए सब इस राशि की उचित स्त्रोत से वसूली करके छात्र कल्याण निधि में जमा करना सुनिश्चित करे।

9. बिना निविदाएं आमंत्रित किए रु 22724/-की सामग्री क्रय करने बारे:-

वाउचर संख्या 1 दिनांक 14.5.08 की जाँच के दौरान पाया कि मैं डोजरी, बिलासपुर से 50 ट्रैक सूट रु22724/-में रेट कन्ट्रैक्ट संख्या 4-ind। sp-3(4-01) 26/2006 (61)दिनांक

27.2.07 के आधार पर क्रय किए गये थे जिसकी वैधता दिनांक 31.3.08 को समाप्त हो चुकी थी जबकि सामग्री का क्रय दिनांक 30.4.2008 को किया गया अनूबन्ध को समाप्ति के पश्चात भी पश्चात भी क्रय उक्त पूर्ण करने व बिना निविदाएं आमन्त्रित किए सामग्री के क्रय किये जाने बारे में स्थिति स्पष्ट की जाए । क्रय की गई सामग्री का व्यौरा इस प्रकार से है:-

क्र० सं०	बिल संख्या	सामग्री का व्यौरा	राशि रु
1	Bill no.741 dated 30-4-08	25 track suit@	11362
	m/s dogra hosery bilaspur	437each=10925	
		val@47. 437	
2	Bill no.750 dated 30-4-08	25 track suit@	11362
	m/s dogra hosery bilaspur	437each=10925	
		val@47. 437	

10. रु 374228 की सामग्री की खपत न दर्शाने बारे:-

जाँच में पाया कि निम्नलिखित सामग्री वैल्डर हेतु समय -2 पर क्रय की गई। एवं भण्डार रजिस्टर से निर्गमन करके शेष सामग्री शून्य दर्शाई गई थी लेकिन इस सामग्री का प्रयोग किस कार्य के लिए किया गया था, का व्यौरा नहीं दिया गया था जिसके अभाव में सामग्री के दुरुपयोग की सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता अतः इस सामग्री से तैयार की गई वस्तु एवं भण्डार रजिस्टर में इसकी प्रविष्टि से अंकेक्षण को अवगत करवायें अन्यथा इस सामग्री के मूल्य की वसूली सम्बन्धित कर्मचारी से करके राशि छात्र कल्याण निधि में जमा करवाना सुनिश्चित करें क्रय की गई सामग्री इस प्रकार से है:-

क्र० सं०	वाउचर संख्या	बिल संख्या	सामग्री का व्यौरा	भण्डार प्रविष्टि
1	Vr.no.1 dt14-5-08	Bill no.3180 date11-4-08	G.i sheets	page-594
		m/s goal bros chamba	12□3	
			6nos@650	
			each=3900	

					Vat 156=4056	
2	Vr.no.1	datet14-5-08	Bill no.3181	date11-4-08	G.i sheets	page-594
			m/s goal bros chamba		12"□3"	
					6nos@650	
					each=3900	
					Vat 156=4056	
3	Vr.no.1	datet14-5-08	Bill no.5517	date11-4-08	94kg Angle	page-596
			m/s Ashwani kumar		65□8 @50 per	
			rajnish kumar] chamba		kg=4700	
					Vat 189	
					Lasonr7=4896	
4	Vr.no.1	datet14-5-08	Bill no.5518	date14-4-08	94kg Angle	page-598
			m/s Ashwani kumar		65□8 @50 per	
			rajnish kumar] chamba		kg=4700	
					Vat 189	
					Lasonr7=4896	
5	Vr.no.1	datet14-5-08	Bill no.5519	date14-4-08	94kg Angle	page-598
			m/s Ashwani kumar		65□8 @50 per	
			rajnish kumar] chamba		kg=4700	
					Vat 189	
					Lasonr7=4896	
6	Vr.no.1	datet14-5-08	Bill no.5520	date15-4-08	94kg Angle	page-596
			m/s Ashwani kumar		65□8 @50 per	
			rajnish kumar] chamba		kg=4700	
					Vat 189	
					Lasonr7=4896	
7	Vr.no.1	datet14-5-08	Bill no.5521	date16-4-08	60kg Angle	page-596
			m/s Ashwani kumar		35□6 @50 per	
			rajnish kumar] chamba		kg=3000	
					31 kg fiat	
					25□5	
					@50 per	
					kg=1550	

Vat=183

Lasonr7=4740

8 Vr.no.1 datet14- Bill no.5552 date17-4-08 60.80kg Angle page-598

5-08 m/s Ashwani kumar 40□5 @50 per

rajnish kumar] chamba kg=3440

27 kg Angle

25□5

@50 per

kg=1350

Vat=192

Lasonr10=4992

11. भुगतान से सम्बंधित दस्तावेज प्रस्तुत न करने बारे:-

चयनित माह 06/2010 के व्ययों की जाँच के दौरान पाया कि छात्र कल्याण निधि रु 20,000/- की राशि क अग्रिम भुगतान श्री प्रदीप कुमार को चैक संख्या 5613146 दिनांक 03.06.2010 द्वारा किया गया लेकिन व्यय से सम्बंधित दस्तावेज अभिलेख अंकेक्षण के दौरान प्रस्तुत नहीं किए गये और न ही इसका समायोजना किया गया जिसके अभाव में भुगतान के दूरूपयोग की सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता। अतः इस अग्रिम राशि का शीघ्र समायोजना एवं भुगतान के दस्तावेज भण्डार की प्रविष्टियों सहित आगामी अंकेक्षण में उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करें अन्यथा वसूली सम्बन्धित कर्मचारी से करके छात्र कल्याण निधि में जमा करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाएं।

12. छात्र कल्याण निधि से रु 506236/-का अनियमित भुगतान:-

जाँच में पाया कि संस्थान के छात्र कल्याण निधि से रु 506236/- की राशि का भुगतान संस्थान के चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी को वेतन की वकाया राशि के रूप में किया गया था जो कि इस निधि पर उचित प्रभार नहीं था अतः इस राशि की वसूली उचित स्त्रौत से करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवायें। भुगतान की राशि का व्यौरा इस प्रकार से है:-

क्र० सं०	कर्मचारी का नाम	चैक संख्या	राशि
1	श्री गजिन्द्र सिंह	6573038 दिनांक 03.10.2011	223948
2	श्री भगत राम	6573039 दिनांक 03.10.2011	282288

13. अन्य औद्योगिक संस्थानों को उधार में दी गई ₹280,000 की राशि बारे:-

जॉच में पाया कि औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान चम्बा द्वारा अन्य को अंकेक्षण औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के अंकेक्षण अवधि के दौरान ₹ 280000/- की राशि उधार के रूप में दी गई लेकिन यह राशि समय पर वापस न करने के कारण ब्याज के रूप में प्रति वर्ष हानि उठानी पड़ रही है अतः शीघ्र इस राशि को वापस लेकर छात्र कल्याण निधि में जमा करना सुनिश्चित करें ताकि इस राशि का प्रयोग छात्र कल्याणार्थ किया जा सके। उधार दी गई राशि का विवरण निम्न प्रकार से है:-

क्र० स०	संस्थान जिसे राशि उधार दी गई	ड्राफ्ट/चैक संख्या	राशि
1.	Principal, govt. ITI lachori	661327 दिनांक 23.6.10	60.000
2.	Principal, govt. ITI Tissa at koti	852137 दिनांक 28.12.70	1.40.000
3.	Principal, govt. ITI lachori	6566957 दिनांक 07.04.2011	60.000
4.	Principal, govt. ITI lachori	6576637 दिनांक 08.02.2012	20.000

14. ₹ 626913 की वसूली एवं स्वीकृत सक्षम अधिकारी से न लेने बारे:-

जॉच के दौरान पाया कि छात्र कल्याण निधि से प्रतिवर्ष ठेके पर रखे गये कर्मचारी के वेतन का भुंगनान किया जा रहा था जो कि छात्र कल्याण निधि पर उचित प्रभार नहीं था इसके सन्दर्भ में प्रधानाचार्य ने सूचित किया कि इस राशि की स्वीकृति सरकार से लेकर पूर्ति कोष से कर ली जाती है। अंकेक्षण अवधि के दौरान ₹ 1226913/- की राशि ठेके पर रखे कर्मचारी के वेतन पर खर्च की गई थी जबकि पूर्ति केवल ₹ 600.000 ही सरकार काष से की गई थी अर्थात् ₹ 626913/- रुपये की पूर्ति अभी शेष है, इसका विस्तृत व्यौरा परिशिष्ट ख में दिया गया है। अतः इस राशि को उचित स्रोत से वसूल करके छात्र कल्याण निधि में जमा करना सुनिश्चित करें।

15. अग्रिम राशि का रजिस्टर तैयार न करने बारे:-

अंकेक्षण के दौरान पाया कि छात्र कल्याण निधियों से समय-2 पर विभिन्न कर्मवारीयों को अग्रिम राशि का भुगतान किया गया था लेकिन इन अग्रिम राशियों के रख-रखाव के लिए अग्रिम राशि का रजिस्टर तैयार नहीं किया गया था जिसके अभाव में यह पता चलना मुश्किल था कि अग्रिम राशि का समायोजन कब किया गया एवं कितनी राशि अभी समायोजना हेतु शेष है। अग्रिम राशि का रजिस्टर तैयार करना सुनिश्चित करें एवं अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवायें।

- 16 लघु आपति विवरणी:-लघु आपतियों का निपटारा मौके पर ही कर दिया अतः यह अलग से जारी नहीं की गई।
- 17 निष्कर्ष:-लेखों के रख-रखाव में सुधार की आवश्यकता है।

हस्ता/-
सहायक निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला-171009.

पृष्ठांकन संख्या फिन(एल.ए)C(15)xi(vii)-102/87vol-ii दिनांक,20.12.2013 शिमला-171009
प्रतिलिपि:- निम्न को आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है :-

- 1 प्रधानाचार्य, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान चम्बा, जिला हि0 प्र0 को इस आशय के प्रेषित है कि वह इस प्रतिवेदन का सटिप्पण उत्तर इस विभाग को अतिशीघ्र भेजें
- 2 .अतिरिक्त सचिव (तकनीकी शिक्षा) हिमाचल प्रदेश सरकार शिमला
- 3 निदेशक, तकनीकी शिक्षा सुन्दरनगर हिमाचल प्रदेश
- 4 श्री संदीप कमल क0 बे ल0 द्वारा-----

हस्ता/
सहायक निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला-171009.

